न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 123/2019

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. एम. हीरालाल पुत्र मादाराम जाति घांची नि0 हिंगावास, तह0 सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 10.05.2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिंगावास के खाता संख्या नया 443 खसरा नंबर 252, 257, 292, 300, 307, 318, 327, 330, 501, 513 कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.1100 है0 खाता संख्या नया 04 खसरा नंबर 338, 339, 361, 520, 540, 886, 1000 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.4400 है0, खाता संख्या नया 26 खसरा नंबर 265, 266 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या नया 25 खसरा नंबर 262 कुल रकबा 0.3300 है0, उक्त वर्णित आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है। अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए इनको पक्षकार नही बनाया गया है। वादग्रस्थ कृषि भूमि में वादी का नाम हीराराम पुत्र मादाराम के नाम से दर्ज सुदा है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एम हीरालाल है। राजस्व रेकर्ड में हीरालाल पुत्र मादाराम के नाम से दर्ज होने से वादी को भारी समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादी वादग्रस्थ भूमि में हीराराम पुत्र मादाराम के स्थान पर एम हीराराम पुत्र मादाराम नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। हीराराम पुत्र मादाराम एवं एम हीराराम पुत्र मादाराम दोनो एक ही व्यक्ति है। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में एम हीरालाल पुत्र मादाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाना एवं कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा हिंगावास में होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा हिंगावास के खाता संख्या नया 443 खसरा नंबर 252, 257, 292, 300, 307, 318, 327, 330, 501, 513 कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.1100 है0 खाता संख्या नया 04 खसरा नंबर 338, 339, 361, 520, 540, 886, 1000 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.4400 है0, खाता संख्या नया 26 खसरा नंबर 265, 266 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या नया 25 खसरा नंबर 262 कुल रकबा 0.3300 है0, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हीराराम पुत्र मादाराम के स्थान पर एम हीराराम पुत्र मादाराम दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा दिनांक 07.04.2022 को पेश कर वादी की भूमि सरहद मौजा हिंगावास में स्थित होना स्वीकार कर पैरा संख्या 02 में सरहद मौजा हिंगावास के खाता संख्या 443, 4 26, 25 के राजस्व रेकर्ड में वादी हीरालाल का नाम एम हीरालाल करने की अनुशंषा की है। पैरा संख्या 3 से 6 कानूनी होना अंकित किया है। जबाब दावा सामिल मिसल है।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश किए, सामिल मिसल है। वादी के बयान कलमबद्ध करवाये गए। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजातएवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रमाणित जमाबंदीयों, वादी के बयानों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी के लिए वादी स्वयं के ब्यान कलमबद्ध करवाये। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, है, सामिल मिसल है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा हिंगावास के खाता संख्या नया 443 खसरा नंबर 252, 257, 292, 300, 307, 318, 327, 330, 501, 513 कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.1100 है0 खाता संख्या नया 04 खसरा नंबर 338, 339, 361, 520, 540, 886, 1000 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.4400 है0, खाता संख्या नया 26 खसरा नंबर 265, 266 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या नया 25 खसरा नंबर 262 कुल रकबा 0.3300 है0, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हीराराम पुत्र मादाराम के स्थान पर एम हीरा**लाल** पुत्र मादाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा हिंगावास के खाता संख्या नया 443 खसरा नंबर 252, 257, 292, 300, 307, 318, 327, 330, 501, 513 कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.1100 है0 खाता संख्या नया 04 खसरा नंबर 338, 339, 361, 520, 540, 886, 1000 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.4400 है0, खाता संख्या नया 26 खसरा नंबर 265, 266 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या नया 25 खसरा नंबर 262 कुल रकबा 0.3300 है0, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हीराराम पुत्र मादाराम के स्थान पर एम हीरा**लाल** पुत्र मादाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा हिंगावास के खाता संख्या नया 443 खसरा नंबर 252, 257, 292, 300, 307, 318, 327, 330, 501, 513 कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.1100 है0 खाता संख्या नया 04 खसरा नंबर 338, 339, 361, 520, 540, 886, 1000 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.4400 है0, खाता संख्या नया 26 खसरा नंबर 265, 266 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या नया 25 खसरा नंबर 262 कुल रकबा 0.3300 है0, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हीराराम पुत्र मादाराम के स्थान पर एम हीरा**लाल** पुत्र मादाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. एम. हीरालाल पुत्र मादाराम जाति घांची नि0 हिंगावास, तह0 सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 123 / 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा हिंगावास के खाता संख्या नया 443 खसरा नंबर 252, 257, 292, 300, 307, 318, 327, 330, 501, 513 कुल खसरा 10 कुल रकबा 7.1100 है0 खाता संख्या नया 04 खसरा नंबर 338, 339, 361, 520, 540, 886, 1000 कुल खसरा 07 कुल रकबा 5.4400 है0, खाता संख्या नया 26 खसरा नंबर 265, 266 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1100 है0, खाता संख्या नया 25 खसरा नंबर 262 कुल रकबा 0.3300 है0, की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हीरालाल पुत्र मादाराम के स्थान पर एम हीरालाल पुत्र मादाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –　　　　मुबलिग –　　　　बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.05.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.